

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी:— पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :-2/2013 (रामनिवास बनाम मांगीलाल वगै०)

निर्णय दिनांक :- 08.07.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.07.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम नयाबास के ख0न0 27, 28 कुल किता 2 कुल रकबा 2.85 है० में मांगीलाल व पेमाराम पुत्र फूसिया व रामदेव पुत्र भागला का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 08.07.2025 को जारी की गई।



५०१
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर